Ph.d (Law and Governance Program)

महिलाओं के अपराध में संलिप्तता छत्तीसगढ़ राज्य के संदर्भ में

बेटी बचाओं ,बेटी पढ़ाओं

शोध प्रारूप

विधि संकाय के विषय महिलाओं के अपराध में संलिप्तता पर पीएच.डी.उपाधि हेतू

शोध निर्देशक
डॉ.बीना दीवान

शोधार्थी
एकता देवी ताम्रकार
Enrollment JVR-I/22/10063

विधि विभाग
ज्योति विद्यापीठ महिला विश्वविद्यालय
जयपुर राजस्थान–2022

आभार

प्रस्तुत शोध कार्य परम आदरणीय प्रोफेसर डॉ.मिनी मैम,डॉ.बीना दीवान विभागाध्यक्ष ,विधि विभाग ज्योति विद्यापीठ महिला विश्व विद्यालय जयपुर के मार्ग दर्शक एवं पर्यवेक्षण का परिणाम है। जिन्होने शोध कार्य को करने में उचित मार्ग दर्शन ही नही दिया,बल्कि समय–समय पर मुझे अपने शोध लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित भी किया। उन्होने सत्य परामर्शो से भावात्मक संबंध प्रदान किया है। यही कारण है कि आज मैं अपने शोध कार्य के उदद्श्य में काफी स्तर तक सफल हुई। उनके द्वारा किया गया सहयोग एवं मार्गदर्शन मेरे लिए स्थाई संबल है। इसके लिए मै उनका हृदय से आभार व्यक्त करती हूॅ।

मै सर्वप्रथम अपने परम पूजनीय माता–पिता श्री बहोरन लाल जी एवं लता देवी ताम्रकार एवं मेरे सास ससुर–श्री विष्णु प्रसाद ताम्रकार ,कुंती देवी ताम्रकार का आभार व्यक्त करती हूॅ अपनी बहनो का जिन्होने समय–समय पर मुझे सहयोग दिया। अपने पति श्री अरविंद जी एवं पुत्री सीजन की ऋणी रहॅूगी। जिन्होने निरंतर मुझे परिश्रम करने के लिए प्रेरित किए। इसके साथ निकट वकील मित्र भी संग्राम सिंह एवं पप्पु साव,राजकुमार राजपुत जिन्होने समय–समय पर मेरे शोध विषय संबंधित सहायता प्रदान करतें हूए अनुग्रहित किया।

प्रमाण पत्र

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्रीमति एकता देवी ताम्रकार ने महिलाओं के अपराध में संलिप्तता छत्तीसगढ़ राज्य के रायपुर एवं दुर्ग जिला में शोध प्रबंध मेरे निर्देशन एवं मार्गदर्शन में प्रस्तुत है।

प्रस्तुत शोध एकता देवी ताम्रकार का मौलिक कार्य हेतू है। प्रस्तुत शोध प्रबंध मूल्यांकन हेतू कुल सचिव ज्योति विद्यापीठ महिला विश्वविद्यालय जयपुर को अग्रेषित किया जाता है।

स्थान – जयपुर

दिनांक – 01/05/2023

निर्देशक

डॉ.बीना दीवान विधि

अध्यापन शाला

विषय–सूची	पेज
(1) प्रस्तावना	1–11
(2) शोध अध्ययन के उददे्श्य	12–15
(3) अनुसंद्धान पद्धति	16–21
(4) शोध परिकल्पना	22
(5) संदर्भ	23–27
(6) साहित्य की समीक्षा	28–31

महिलाओं के अपराध मे संलिप्तता छत्तीसगढ़ राज्य के संदर्भ में

प्रस्तावना (Introduction):– प्राचीनकाल से वर्तमान काल तक परिवार जीवन की कुशलता एवं समर सत्ता के साथ सामाजिक व्यवस्था एवं प्रसन्नता को संधारित करने हेतू पुरूषों की तुलना में महिलाओं का योगदान अमूल्य रहा है। वैदिक युग के देवताओं को रमण करवाने वाली नारी प्रसाद की श्रद्धा मयी नारी,सशक्तीकरण का उद्घोष करते हूए सबला बन चुकी है। इसके बावजूद भी पुरूष की अहममयी प्रवृत्ति एवं दबाव के कारण आज भी नारी समाज में दोयम स्थिति में है। उसे अपने अधिकारों को प्राप्त करने के लिए निरंतर संघर्ष करना पड़ रहा है।

भारत में स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात् संविधान निर्माण के साथ अनेक संविधियॉ की संरचना की गई है , जिसर्में भारत के लोक कल्याण कारी राज्य की स्थापना के स्वपन में भारतीय नारी के उत्थान की कल्पना को साकार किया गया है। हमारे संविधान में नारियों को समाज मे विशेष स्थान दिलाने तथा रोजगार एवं अन्य मामलों में उन्हें प्राथमिकता प्रदान करने हेतू राज्य सरकार को निर्देश दिए है। जो संविधान के अनुच्छेद 14 एवं 15 (3) तथा नीति –निर्देशक तत्वों द्वारा स्पष्ट है। नारी की गरिमा को कायम रखने एवं समाज और परिवार से उसे समानता की सह भामिनी बनाने के लिए राज्य सरकार के साथ–साथ स्वंय सेवी संगठन भी अपना योगदान दे रहे है। महिला आयोग की स्थापना इसी उदद्ेश्य की पूर्ति हेतू की गई है। जयशंकर प्रसाद ने सत्य ही कहा था कि मानव कब दानव से भी दुर्दांत पशु से भी

बर्बर और पत्थर से भी कठोर हृदय वाला हो जाएगा, कहा नही जा सकता। उपरोक्त उक्ति की सत्यता की पुस्टि न्यायालयों में दस्तक दे रही उन,महिलाओं में प्राप्त होती है ,जो कि शारीरिक ,मानसिक एवं आर्थिक रूप में पुरूष द्वारा प्रताड़ित किए जाने के कारण न्यायालय की शरण में पहुॅच रही है ,और अनेक कानूनों के निर्माण के बावजूद भी महिलाओं की दयनीय स्थिति में वंछित सुधार नही हो सका है। पति और परिवार के द्वारा ठुकराए जाने के कारण ,देर से विवाह होना अकेले जीवन–यापन का फैसला लिवङ्इन रिलेशन या मारपीट कीए जाने एवं मानसिक यातनाएॅ देने के कारण महिलाए विवाह–विच्छेद एवं भरण पोषण तथा अपनी शौक व इच्छा पूर्ति हेतू अपराध में घुस रही है। भरण –पोषण के लिए आवेदन प्रस्तुत करने हेतू न्यायालयों में अपने शोषण एवं प्रताड़ना के ग्राफ की लगातार वृद्धि कर रही है। राजस्थान उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधिपति माननीय गुमान मल लोढ़ा ने अपने एक निर्णय में हंसारानी नामक एक पीड़ित महिला द्वारा अपने पिता को लिखे पत्र को उद्घृत किया है जो कि नारी की बिलखती वेदना को स्वर प्रदान कर रहा है – आपने मुझे किन दरिंदो को सौंप दिया है वे मुझे बहुत दुख देते है। मेरे ससुराल वाले तो पशुओं से भी गए बीते हैं वे मुझे रोज मारते है व कहते है कि मायके से रूपए ला वरना हम तुम्हे जान से मार डालेंगे। (हंसारानी) वर्तमान समय मे महिलाओं के भरण–पोषण की अनिश्चिता बनी हुई है। आजीविका से सीधे जुडे होने के कारण आय के स्त्रोतों पर परिवार के मुखिया के रूप में पुरूष का नियंत्रण रहता है। निवेश एवं नियोजन भी पुरूषों द्वारा ही किया जाता है। अतः अपने अस्तित्व के लिए आजीविका का संकट भरण–पोषण की समस्या पैदा कर देता है जो महिलाओं को मानसिक परतंत्रता की ओर ले जाता है।

ग्रीबी और भूखमरी से त्रस्त होने के कारण –महिलाओं के लिए पारित दंड प्रक्रिया संटिता के प्रावधान बैसाखी के रूप में हैं जिसमें धारा 125 तक महिलाओं एवं अश्रितों का भरण पोषण करने का अस्तित्व पति द्वारा निभाए न जाने के कारण कार्यवाही किए जाने का आज्ञापक निर्देश समाहित है। दंड प्रक्रिया संहिता के प्रावधानो के अंतर्गत विभिन्न न्यायालयों में पदस्थ प्रथम श्रेणी दंडाधिकारीयों द्वारा संज्ञान लेने का प्रावधान है। न्यायालीन प्रक्रिया एवं व्यवस्था की जटिलता में इच्छा शक्ति के होते हूए भी दंडिक न्यायालयों द्वारा विलंब किया जाता रहा है। यह प्रवृत्ति आज भी विद्यमान है। क्योंकि हमारी न्याय–व्यवस्था में न्यायिक दंडााधिकारियों को दांडिक प्रकरणों के साथ दीवानी प्रकरणों का भी निपटारा करना पड़ता है। दीवानी एवं दांडिक प्रकरणों की निरंतर बढ़ती संख्या के कारण महिलाओं के भरण –पोषण के मामले को निपटाने में इच्छा शक्ति के होतू हूए भी दांडिक न्यायालयों द्वारा विलंब किया जाता रहा है। यह प्रवृत्ति आज भी विद्यमान है क्योंकि हमारी न्याय व्यवस्था में न्यायिक दंडाधिकारियों को दांडिक प्रकरणों के साथ दीवानी प्रकरणों का भी निपटारा करना पड़ता है। दीवानी एवं दांडिक प्रकरणो की निरंतर बढ़ती संख्या के कारण महिलाओं के भरण–पोषण के मामले भी त्वरित गति से निपटाया जाना संभव न होने के कारण विभिन्न सामाजिक संस्थाओं एवं महिला संगठ्नों द्वारा यह महसूस किया गया कि महिलाओं के प्रकरणों को विशेषकर भरण–पोषण से संबंधित मामलों का त्वरित निपटारा करने हेतू पृथक न्यायालय की स्थापना की जानी आवश्यक हैं नीति– निर्माताओं का ध्यान विदेशी राष्ट्रों की ओर भी आकर्षित किया गया जहॉ पर महिलाओं से संबंधित दहेज, तलाक एवं भरण–पोषण के मामलों हेतू कुंदुब –न्यायालय की स्थापना की गई है। ऐसे न्यायालय ब्रिटेन अमेरिका ,आस्ट्रेलिया ,न्यूजीलैंड एवं जापान इत्यादि में कार्यरत है। इस तथ्य ने भी भारत सरकार को

उत्प्रेरित किया कि इस देश में भी महिलाओं की समस्या को हल करने के लिए पृथक न्यायालय स्थापित किए जाने चाहिए,परिणाम स्वरूप सन् 1984 में कुंटुब न्यायालय अधिनियम पारित किया गया।

दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 में प्र्याप्त साधन वाले'' पति द्वारा अपनी असमर्थ पत्नि को भरण –पोषण दिलाए जाने का उपबंध है जबकि विदेशी राष्ट्रों में '' बाध्यकारी परिस्थितियॉ ंके कारण भरण–पोषण दिलाए जाने का प्रावधान है। दंड प्रक्रिया संहिता में समाहित भरण–पोषण के लिए प्रावधान को त्वरित गति से निपटार्नें के लिए ही कुंटुब न्यायालय अधिनियम 1984 पारित किया गया है। एक निर्णय में यह स्पष्ट किया गया है कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 पक्षकारों की प्रायः स्थिति,अधिकारों व आबद्धताओं का अंतिम तौर पर अवधारणा नही करती है। अतः कुंटुब न्यायालय की स्थापना का प्रयोजन वही है जो कि विधि आयोग की 59 वीं रिपोर्ट में स्पष्ट किया गया है जिसमें वैवाहिक प्रकरण तथा पारिवारिक विवाद शीघ्रता से निपट सके व सुलह की संभावना हो सके। इस दृष्टि से सिविल प्रक्रिया संहिता से भिन्न पहुॅच अपनाने के लिए कुंटुब न्सयायालय अधिनियम पारित किया गया है ,किंतु आज भी सिविल प्रक्रिया संहिता के प्रावधानों को कुटुंब न्यायालयों की कार्यवाहियों में समाहित किया जाता है।

सन् 2009 में मेलबर्न में 9–10 नवंबर को अंतर्राष्ट्रीय न्यायाधीशों का सम्मेलन हुआ था,जिसमें कुंटुब न्यायालयों द्वारा मामलों को निपटाने के लिए विशेषकर परिवारिक हिंसा तथा अपराध से संबंधित मामलो पर विचार किया गया था। इस अंर्तराष्ट्रीय विचार धारा से भारतीय दृष्टिकोण भी सहमत है।

भारत सरकार समय–समय लागू किए गए विभिन्न अधिनियमों ,प्रावधानों आयोगों एवं विशेष न्यायालयों (कुंटुब न्यायालय) आदि का प्रावधान होने के बाद भी वैधानिक उपबंधों के समरुप अधिकार महिलाओं को प्राप्त नही हो पा रहे है। कुछ प्रकरणों मे ंतो महिलाओं की उदासीनता एवं हठ धर्मिता की इकसा कारण बनती है। और महिलाओं का शोषण होता रहता है। सामाजिक दबाव एवं प्रतिबंध भी प्रतिकूल परिस्थितियाॅ निर्मित करते है। जिन पर रचनात्मक पुर्नविचार कर सुधार की आवश्यकता है। महिलाओं का अपराध में संलिप्तता में आधुनिक ,भौतिकता वादी ,जीवन शैली ,निसंतानता ,कामवासना ,फिलमी असर के कारण शीघ्र से शीघ्रतर बढ़ोत्तरी हो रही है। महिलाओं के अपराध में संलिप्तता को कम करने के या रोकने के लिए हमारे कुंटुबकीय संबंधो के धागे से ही समाज का ताना–बाना तैयार होता है। इस परिपेक्षय में रामचरित मानस में कौटुम्बिक सरोकरों पर विशेष बल दिया गया है ,जो आज भी आदर्श हो सकता है। महा भारत में पांडव व पांचली का संबंध भी आदर्श रहा है। इसमें संदेह नही है कि कुंटुब बचेगा तो समाज बचेगा और समाज बचेगा तो देश बनेगा। श्रीराम चरित मानस परिवारिक आदर्श के मूल्यों से परिपूर्ण है। यह ग्रंथ कुंटुब में त्याग,समर्पण,स्वार्थहीनता और शिष्टाचार की भावना का प्रबल पक्षधर है। अतएव यह माता–पुत्र, पिता–पुत्र, भाई–भाई, भाई–बहन, ससुर–बहु, सॉस–बहु, भाभी देवर ,ज्येष्ट अनुज वधु गुरू–शिष्य आदि सभी मानवीय एवं मानोत्तर संबंधों का आदर्श प्रस्तुत करता है।

एकल परिवार के कारण सास–सुसर एवं पुत्र वधु का संबंध ,माता–पिता और पुत्र–पुत्री का संबंध भ्राताओं का पारस्परिक संबंध पति–पत्नि का संबंध ,पड़ोसी से संबंध निःसंतान महिला के साथ उपेक्षित ,व्यवहार

नातेदारों से संबंध मित्रों व सहकर्मियों के साथ संबंध प्रेम प्रसंग,अंर्तजातितीय विवाह आदि ऐसे अनेक कारण है जिसके कारण वात्सल्य प्रदान करने वाली माता नही कुशल पूछने वाला पिता नही ,दुख में सहायता करने वाला बंधु व मित्र नही। मन की बात कहे तो किसे कहे,कोई बात करने वाला नही सब व्यस्त । कोई सहानुभुति देने वाला नही है।

महिलाओं को स्वयं ही अपने अधिकारों ,दायित्वों व कर्तव्यों के प्रति जागरुक होना होगा। तभी महिलाओं का अपराधों में जाना रुकेगा। व सामाधान हो सकेगा। संस्कारित एवं स्वतंत्र राष्ट्र में महिलाओं की असुरक्षित एवं उपेक्षापूर्ण स्थिति उचित नही। इसमे सुधार हेतू वरिष्ट विधि वेत्राओं,जनप्रतिनिधियों ,विधायिका एवं न्यायपालिका का समवेत प्रयास आवश्यक है। ताकि आत्मनिर्भर एवं आश्वस्त महिला वर्ग समाज एवं राष्ट्र के विकास मे पूर्ण समरसता के साथ अपना योगदान प्रदान कर सके।

ज्योति विद्यापीठ महिला विश्व विद्यालय जयपुर राजस्थान के विधि संकाय के डीन,स्नातकोत्तर विधि अध्ययन शाला के अध्यक्ष एवं मेरे शोध निर्देशक डॉ.बीना दीवान के अनुरोध पर जिला एवं सत्र न्यायालय रायपुर एवं दुर्ग के मुख्य न्यायधीश के पत्र क्रमॉक के आधार पर महिलाओं के अपराध में संलिप्तता से संबंधित निपटाए गए प्रकरणों की फाईलों का अध्ययन किए जाने की अनुमति प्रदान की गई। कार्यलयीन समय में जिला एवं सत्र न्यायालय के अभिलेखागार में जाकर विषय से संबंधित समस्त फाईलों का अध्ययन सन् 2015 से लेकर वर्तमान तक मेरे द्वारा किया जाना है।

सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत मेरे द्वारा दिनॉक 27/04/23 को एक आवेदन पुलिस अधीक्षक रायपुर एवं दुर्ग जिला के जन

सूचना अधिकारी द्वारा महिलाओं के अपराध में संलिप्तता से संबंधित जानकारी प्रदान करने की विनय की गई।

अभिलेखागार में अभिलेखों जिनमें रजिस्टर एवं फाइले शामिल है ,का अध्ययन करने एवं निरंतर पीड़ित महिलाओं ,परामर्श दाताओं एवं अधिवक्ताओं से संपर्क बनाए रखते हूए महिलाओं से संबंधित अपराध एवं महिलाओं के अपराध में संलिप्तता संबंधित प्रकरणों की विभिन्न आधारों पर विवेचना की गई एवं संबंधित विषय सामाग्री एकत्रित की गई। इतनी अधिक संख्याा में प्रकरणों का वर्गीकरणों तथा विवेचना व्यवहारिक न होने के कारण प्रतिदर्श प्रणाली पद्धति अपनाते हूए चयनित 200 प्रकरणों का अध्ययन किया जाना है ,जिन्हें विभिन्न आधारों पर वर्गीकृत कर उनका विश्लेषण पृथक तालिकाओं एवं चार्ट के माध्यम से प्रदर्शित किया गया है ।

छब्त्ठ रिपोर्ट के अनुसार छत्तीसगढ़ में अन्य राज्यों की अपेक्षा महिला अपराधी कम है।

राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण रायुपर महिला आरक्षी केन्द्र दुर्ग से संपर्क कर शोध कार्य से संबंधित जानकारी एकत्रित की जानी है। जिन्हें शोध के निष्कर्षो में समाविष्ट किया गया है। सामाजिक अनुसंधान की '' पुस्तकालय एवं कार्य स्थल अध्ययन'' विधि में द्वितीयक तथ्यों को संकलित करना होता है। इस पद्धति भी उपयोग इस शोध प्रबंध में यिका जाना है।

14 अगस्त 2013 को माननीय उच्चतम न्यायालय की खंडपीठ द्वारा मेच्यूरी एवं पेंशन को कर्मचारियों की संपत्ति माना है ,इनाम नही न्यायाधीशों को संवेदनात्मक दृष्टिकोण अपनाया जाना चाहिए, जिससे सामाजिक न्याय की प्राप्ति हो सके।

सइबर अपराध में भी महिलाओं की संलग्नता बढ़ी है। ज्यादातर फ्राड कॉल्ड महिलाएँ ही करती हैं कोई लालच देकर या डराकर आपसे कुछ करने को कहे तो पुलिस से इसकी शिकायत करनी चाहिए। फोन या ई–मेल पर आने वाले किसी लिंक पर न क्लिक करे और न ही अपनी जानकारी साक्षा करे। अक्सर ठग कोई लुभावना ऑफर ,कैशबैंक,बैंक कर्मचारी बन कर एटीएम कार्ड ब्लॉक होने या बिजली करने या इंटरनेट सेवा प्रदाता बन कर ठगने का प्रयास करते है। कभी–कभी पुलिस बनकर भी अपराधी डराने का प्रयास करते है। इसके आलावा कोई आपकों पैसे हस्तांतरण करना करना चाहे तो उसके भेजे लिंक पर ने तो क्लिक करें न स्कैन करे और न ही ओटीपी साझा करें । ठगी होने पर हेल्प लाईन 1930 पर कॉल करके अपराधियों के खाते का पैसा ब्लॉक करा सकते है। वेबसाइट http@@www.cybercrime gov.on पर भी शिकायत दर्ज करा सकते है।

इस शोध प्रबंध में महिलाओं के अपराध में संलिप्तता एवं उनको रोकने के उपास तथा अधिकारों से संबंधित सामाग्री तथा न्यायालय की भूमिका एवं उपोदयता का विश्लेषण कुल 8 अध्याय में किया जाना है। शोध सामाग्री का सारांश तथा न्यायालय की कार्यप्रणाली में परिवर्धन एवं परिवर्तन करने हेतू सुझाव भी प्रस्तुत किए गए है। आवश्यकतानुसार तालिकाओं एवं चार्ट द्वारा भी प्रप्तियों को प्रदर्शित किया गया है इसके साथ ही बाद सूची शब्द संक्षेपिका ,संदर्भ ग्रंथ सूची तथा सारगर्भित अनुसूचियों को भी समाविष्ट किया जाना है।

शोध प्रबंध की समाप्ति पर पूर्व कल्पित संकल्पनाओं की पूर्ण प्राप्ति करने की कोशिश की जाएगी। और नीति–निर्माताओं एवं न्यायाधीशों

से अपेक्षा की जाती है। कि उददे्श्यों की शीघ्र प्राप्ति हेतू उचित कदम उठाने का प्रयास करेगे।

(2) शोध अध्ययन के उददे्श्य (objectives of your research) भारत वर्ष में स्वतंत्रता पूर्व महिलाओं के उत्थान के लिए किए गए प्रयासों से यह स्पष्ट होता है कि महिलाओं की सामाजिक एवं पारिवारिक संपत्ति में समान भागीदारी होती रही है और इस प्रकल्प का परिणाम स्वतंत्र भारत में निर्मित अनेक कानूनों में स्पष्ट दिखलाई पड़ता है। यद्यपि महिलाओं को सैकड़ो वर्षो तक दोयम दर्ज की स्थिति में रखने का प्रयास किया गया तथापि प्राचीन ग्रंथ भी यह स्पष्ट करते है कि भारत के सामाजिक स्तर एवं न्याय व्यवस्था मे महिलाओं ने अपना योगदान दिया है। महाराजा विक्रमादित्य उनसे राय लिया करते थे। इस तरह आंतरिक रूप से जहॉ समाज एवं विधि में महिलाओं का प्रतिनिधित्व करती थी। वास्तव में पुतलियों को विदुषी महिलाओं का प्रतीकात्मक स्वरूप प्रदान किया गया है और न्याय निर्णयन के पूर्व महाराजा विक्रमादित्य उनसे राय लिया करते थे। इस तरह आंतरिक रूप से जहॉ समाज एवं विधि में महिलाओं की भगीदारी प्राप्त होती रही है। वही पर उन्हें प्रताड़ित किए जाने एवं उनके अधिकारों को छीनने के लगातार प्रयास भी किए गए है । इन वास्तविकताओं के परिपेक्ष्य में महिलाओं के अपराध में संलिप्त प्रत्येक वर्ग समाज का सामाजिक आर्थिक एवं शैक्षणिक पृष्ठ भूमि का अध्ययन करना।

विधिक शोध का एक महत्वपूर्ण उददे्श्य प्रकृति में उपयोगितावादी होता है। जिस तरह सामाजिक उत्थान में बैथम ,मिल एवं हीगेल जैसे विचारकों ने उपयोगितावादी संरचना को आयाम दिया है। इस शोध अध्ययन में विधिक उपबंधों के बावजूद महिलाओं के अपराध की समस्या और महिलओं के द्वारा

अपराध की निरंतरता के कारणों की खोज की गई है ,जिसमें यह सत्य सत्य उभर कर आया कि पुरूष द्वारा स्त्री को अनावश्यक रूप से दबाकर रखने एवं प्रताड़ित करने अपमानित करने नीचा दिखाने ,काम जोरी का फायदा–उठाने की प्रवृत्ति ने महिलाओं को संघर्ष हेतू उत्प्रेरित किया है इस बुराई का उन्मूलन करने हेतू अध्याय 9 में सशक्त सुझाव दिए जाने है।

इस शोध अध्याय में मूल उददे्श्य के रूप में महिलाओं के अपराध और महिलाओं के द्वारा विश्लेषण तथा उनकी सामाजिक व विधिक अनिवार्यताओं को प्रक्षेपित किया गया है। महिलाओं के अपराध में परिवार और समाज की भूमिका से संबंधित साश्वान प्रश्न,अध्ययन के उददे्श्य में समाहित किए गए है ,प्रश्नों पर प्राप्ति निम्न है :–

(1) क्या महिलाओं के अपराध में कुंटुब न्यायालय की स्थापना महिलाओं को त्वारित न्याय दिलाने में समक्ष हो सकी है।

(2) क्या महिलाओं के अपराध के सुनवाई हेतू कुंटुब न्यायालय की स्थापना होने के पश्चात् महिलाओं की समस्याओं से संबंधित विवादों में कमी आ रही है।

(3) क्या महिलाओं के अपराध के लिए गठित न्यायालय से महिलाओं को पारिवारिक सामाजिक एवं आर्थिक न्याय की प्राप्ति हूई है।

(4) क्या न्यायालय के निर्णय के पश्चात् महिलाओं के आत्म सम्मान एवं आत्म विश्वास में वृद्धि को बल दिया हैं महिलाओं की जीजिविषा में वृद्धि हूई है।

(5) क्या महिलाओं के अपराध से संबंधित मामलों में त्वरित न्याय निर्णयन के उददे्श्य की पूर्ति करने में सफल हुआ हैं

(6) क्या सरकार की योजनाएँ महिलाओं के अपराध को रोकने या काम करने के उददे्श्यों एवं प्रयोजनों को पूरा कर रहे है।आगे अध्यायों में उपरोक्त जिज्ञासाओं पर विस्तृत अध्ययन करने की कोशिशे जारीरहेगी।

<u>अनुसंधान पद्धति (Research Methodology):–</u> प्रस्तुत शोध अध्ययन प्राथमिक एवं द्वितीयक ऑकड़ों पर आधारित है। विषय से संबंधित शोध प्रबंध पूर्ण करने हेतू विभिन्न शोध विधाओं का सहारा लिया गया है ,जैसे प्रतिदर्श पद्वति,सैद्धांतिक पद्धति ,अनुभाविक पद्धति,सहभागी पद्धति एवं अवलोकन पद्धति।

शोध प्रबंधन व्यवस्थिति ढंग से किसी भी मामले को हल करते हूए प्राक्कल्पना के संरक्षण तथा तथ्यों का समन्वय करते हूए शोधकर्ताओं को पहूँचता है। शोध का मुख्य उददे्श्य नए तथ्यों की खोज करना चलन में रह रहे सिद्धांत का मूल्यांकन करना ,समस्या का निदान करना तथा इनके लिए आवश्यक साक्ष्य जुटाना है। किसी भी सामाजिक अनुसंधान का उददे्श्य एक घटना विशेष के संबंध में वैज्ञानिक निष्कर्ष निकालना होता है। निष्कर्ष तथ्य घटित होते है। इन तथ्यों को एकत्रित करने के लिए प्रयोजन निश्चित प्रमाण सिद्ध तरीकों की शोध विधि के माध्यम से शोध समस्या को समुत्तरित किया जाना है।

Research is the careful delight and exhaustive investigation of a specific subject matter,which has as its aim the advancement of man kind's know ledge .

<u>Manheir</u>

पी.के.कुक ने कहा है कि ऑकड़ो का नियोजित एवं व्यवस्थित संग्रहण ,विशलेषण एवं निर्वसन अच्छी शोध विधि के अंग है।

करलिंगर का विचार है ऑकड़ो को व्यवस्थित–नियंत्रित ,अनुभाविक तथा समीक्षात्मक अन्वेषण के माध्यम से प्रस्तुत किया जाना चाहिए। इन विद्वानों के मता से सहमत होते हूए ऑकड़े संकलित करने के लिए इस अध्ययन में परंपरागत विधियॉ में से प्रश्नावली एवं अवलोकन का सहारा किया लिया

गया है। प्रश्नावली के अंतर्गत 10 प्रश्न तैयार कर विधि क्षेत्र के स्थापित विशेषज्ञों से जानकारी प्राप्त की गई है। तथ्यों का संग्रहण करने के लिए 100 प्रबुद्ध उत्तर दाताओं का प्रश्नावली प्रेषित की जाएगी। विशेषज्ञों की राय तथा पूर्व से निर्धारित प्रश्नों के आधार पर व्यक्त की गई राय शोध के विषय से सीधे संबंधित पायी गई हैं जिन्हें एक निश्चित स्वरूप देकर वर्गीकृत किया जाएगा। और इस प्रश्नावली के आधार पर प्राप्त तथ्यों से भी शोध के निष्कर्ष निकाले जाएगें और उनके आधार पर तथ्यों का सांरशी करण विश्लेषण एवं सारणीकरण कर विषय से संबंधित निष्कर्ष निकाले जागगे।

अवलोकन विधि का सहारा लेकर डिस्टिक कोई दुर्ग द्वारा निर्णीत प्रकरणों पर अपनायी गई प्रक्रिया के औचित्य की मीमांस हेतू अभिलेखागार में से अनियमित प्रतिचयन की विधि अपनाए हूए 200 प्रकरणों का चयन किया जाकर विभिन्न आधार पर वर्गीकरण कर विषय सामग्री का विश्लेषण किया गया है।

एम.पार्टन के अनुसार अनियमित प्रतिचयन का उपयोग जब किया जाता है जब चयन की विधि यह आश्वस्व करती है कि समाष्टि का हर तत्व चयन का पूर्ण अवसर प्राप्त करता है। इसी कथन को आधार मानकर वर्गीकरण के आधार पर पृथक तालिकाएँ एवं चार्ट तैयार कर अध्याय–सात मै। प्रदर्शित किया जाएगा। तथा तथ्यात्मक आधारों पर परिणामों से शोध का निष्कर्ष तैयार किया गया है।

विधिक शोध हेतू आनुभाविक पद्धति का भी सहारा लिया जाता है जो कि प्रस्थापना पर आधारित अध्ययन होता है जिसमें न्यायालयों द्वारा निर्णीत वादों का विश्लेषण किया जाता है एवं वर्तमान विधि की स्थिति के औचित्य पर विचार किया जाता है।

दूसरे शब्दों मे इसे कार्य स्थल पर अध्ययन विधि भी कहते है। जैसा कि डॉ.एस.एन.जैन ने कहा है कि आनुभाविक शोध ’’ **Invalves anatysis of case law,arranging,ordering and systematizing legal proparitions and study of legal instictions through legal reasoning or rational deduction**

इस शोध प्रबंध में शोध के इस घटको को अमलीजामा पहनाते हूए कार्यस्थल पर अध्ययनविधि का सहारा लेते हूए डिस्टिक कोई दुर्ग के परिसर में उपस्थिति 100 पीड़ित महिला तथा महिला अपराधी से व्यक्तिगत संपर्क कर विभिन्न बिंदुओं पर जानकारी प्राप्त की जाएगी। जिसे प्राप्त तथ्यों के आधार पर तालिका एवं चार्ट के माध्यम से भी प्रदर्शित किया गया है। यह जानकारी डिस्ट्रिक कोर्ट दुर्ग में प्रकरणों की स्थिति निर्णयों मे विलंब के कारण तथा महिला पीडिता तथा पीड़ित महिला पक्षकारों को सहायता करने वाले व्यक्तियों आदि को स्पष्ट करने में सहायक सिद्ध होगे और इससे शोध में प्रभावी निष्कर्ष प्राप्त होगें।

इस शोध प्रबंध को पूरा करते समय शब्दकोषों,विद्वानों द्वारा भारतीय संविधान पर लिखी गई टीकाओं ,महिलाओं से संबंधित अनेक संदर्भ ग्रंथो विधि की पत्रिकाओं सुलेखों मे समाचार पत्रों का अध्ययन करने के साथ जिला न्यायालय दुर्ग में अभिलेखागार में न्यायालय द्वारा पारित विभिन्न निर्णयों का वीक्षण एवं मनन करने तथा न्यायालय में होने वाली कार्यवाहियों एवं लोक अदालतों की कार्यवाहियों में स्वयं उपस्थित होकर निरीक्षण वीक्षण एवं अवलोकन द्वारा विभिन्न शोध पद्धतियों के सिद्धांतों का समन्वय किया जाएगा। अवलोकन की विभिन्न उपपद्धतियों जैसें –अनियंत्रित अवलोकन संस्थनात्मक एवं असंरचनात्मक प्रश्नावली साधरण एवं सुव्यवस्थित अवलोकन तथा आंतरिक एवं बाध्य विषयी अवलोकन को अध्ययन के दौरान समाविष्ट किया जाएगा।

Provision of s. 20 of fact 1956 cast clear statutory obligation on Hindu to maintain his unmarried dayghter who is unable to maintain herself –

[Birendra kumar Tiwari vs Ku.Neetu Tiwari 2023(2) C.GL.J,I]

इंटरनेट के माध्यम से भी माननीय उच्चतम न्यायालय एवं विभिन्न माननीय उच्च न्यायालयों द्वारा पारित अयतन निर्णयों का संकलन करने के उपरांत उनका समालोचनात्मक विश्लेषण प्रस्तुत किया जाएगा। महिलाओं के अपराध

तथा महिलाओं का अध्ययन व्यक्ति गत रूप से संपर्क कर उनके विचारों का अंतर–शोध पद्धतियों द्वारा विश्लेषण प्रस्तुत किया जाएगा।

इस प्रकार इस शोध प्रबंध में विधिक अनुसंधान से संबंधित लगभग सभी पद्धतियों का समावेश हो जाएगा। जो कि शोध परिशीलन में एक नवीन प्रयास है।

NCRB किसी भी प्रकरण का ऑन लॉइन **F.I.R.**(154) **Sec** बतण्बचण दर्ज करने से साक्षी,गवाह,सबूत खत्म करने ,मिटाने या बदलने से रोका जा रहा है ,ताकि अपराधी को दंड दिया जा सके । एक स्वच्छ एवं सुंदर समाज का निर्माण हो सके।

शोध परिकल्पना (**Research Question**)

(1) महिलाओं के अपराध और महिलाओं के द्वारा अपराध में संलिप्तता का वर्तमान संदर्भ अवधारणात्मक निरूपण करना।

(2) महिलाओं के अपराध में ,और महिलाओं के द्वारा अपराध का छत्तीसगढ़ राज्य के दुर्ग जिला का वर्ष 2015 से 2022 तक का सिविल कोर्ट से सूची लेकर संबंधित कानूनों एवं सामाजिक प्रावधानों का ज्ञान एवं उनका प्रभाव

(3) महिलाओं के अपराध को रोकने के उपाय।

(4) महिलाओं के अधिकार –संवैधानिक एवं संविधिक एवं उन अधिकारों का उपयोग एवं रोकने के उपाय।

सन् 2015 से 2022 तक के ऑकड़े लेकर दुर्ग जिला को समग्र छत्तीसगढ़ मानकर निर्देशन प्रणाली द्वारा 100 उत्तर दाताओं का चयन किया जाना है।

संदर्भ (**References**):–

(1) दैनिक भास्कर

(2) नवभारत टाइम्स

(3) महिलाओं के विरुद्ध अपराध ,राम आहूजा ,रावत पब्लिकेशन

(4) महिला सशक्तिकरण

(5) समानता की नीव दिल्ली हाईकोर्ट

(6) यादव राजाराम ,भारतीय दंड संहिता,1860 पंचम संस्करण 2005

(7) सेन्ट्रल लॉ पब्लिकेशन –इलाहाबाद

(8) अल्वा मिर्डल व वायोला क्लयान,वीमैंस टू रोल्स

(9) अपराध,अनुसंधान की मार्गदर्शिका,आर.सी.वत्स(पब्लिकेशन डि ब्राइट लॉ हाऊस

(10) महिलाएँ और अपराध ,डॉ.निशांत सिंह

(11) विधि संवाद त्रैमासिक पत्रिका,विधि वार्ता,संवाद एवं चर्चा की पत्रिका

(12) विधि आयोग का 59 वॉ प्रतिवेदन सन् 1974

(13) भारत के राजपत्र असाधारण भाग 2 धारा 1 दिनॉक 14/09/1984के पृष्ठ 1 से 8 पर प्रकाशित

(14) डॉ.एस.एल.जैन रीसर्च मैथोडोलॉजी ,1972 (4 जे.आई.एल.आई.487)

Websites :–

(1) WWW.goodle.com

(2) WWW.indiankanoon .in

(3) WWW.indialawjournal.com

(4) WWW.legalsevicenindia.com

(5) WWW.legalindia .in

(6) WWW.Lawkhoj .com

(7) NCRB

LIO Journal –

(1) All India Reporter

(2) Supereme court cases

(3) C.G.Low Journal

(4) C.G.Low Times

(5) Supreme court weekly Report

(6) Civil and criminal Digests

(7) Criminal Law Journal

(8) Supreme court Judgments matrimonial and family Law

(9) छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग,प्रशासनिक प्रतिवेदन

(10) छत्तीसगढ़ दण्डिक निर्णय पत्रिका (उच्च न्यायालय)

(11) उच्चतम न्यायालय निर्णय पत्रिका

<u>संरर्भित अधिनियमों की सूची :–</u>

(1) बंगाल सती विनिमय 1884

(2) हिन्दु विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856

(3) भारतीय तलाक अधिनियम 1864

(4) विवाहित महिला संपत्ति अधिनियम 1874

(5) भारतीय दंड संहिता 1860

(6) भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872

(7) व्यवहार प्रक्रिया संहिता 1908

(8) व्यवसायी (महिला) संशोधन अधिनियम 1923

(9) भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम 1925

(10) बाल–विवाह अवरोध अधिनियम 1929

(11) कारखाना अधिनियम ,1981,खदान अधिनियम 152

(12) बागान श्रमिक अधिनियम 1951

(13) विशेष विवाह अधिनियम 1954

(14) हिंदु विवाह और तलाक अधिनियम 1955

(15) हिंदु उत्तराधिकार अधिनियम 1956

(16) हिंदु उत्रक और भरण पोषण अधिनियम 1956

(17) महिलाओं एवं लडकियों के (अनैतिक व्यापार पर सेवक) अधिनियम 1956 एवं संशोधित अधिनियम 1986

(18) मातृत्व सहायता अधिनियम 1961

(19) दहेज प्रतिषेद अधिनियम 1961

(20) गर्भ का चिकित्सीय समापन अधिनियम 1971

(21) दंड प्रक्रिया संहिता ,1973

(22) विवाह विधि संशोधन अधिनियम 1976

(23) समान पिरित्रामिक अधिनियम 1976

(24) कुंटुब न्यायालय अधिनियम 1984

(25) महिलाओं के अश्लील चित्रण प्रतिबंध अधिनियम 1986

(26) मुस्लिम महिला (विवाह विच्छेद पर अधिकारों)

(27) सती प्रथा को रोकने संबंधी अधिनियम 1987

(28) राष्ट्रीय महिला आयोग 1990

(29) मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993

(30) टोहनी प्रताड़ना निवारण अधिनियम 2005

(31) घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005

(32) दंड विधि संशोधन अधिनियम 2013

<u>स्माचार पत्र पत्रिकाएँः–</u>

(1) नई दुनिया,नवभारत ,दैनिक भास्कर देशबंधु ,हरिभूमि ,इंडिया टुडे,प्रतियोगिता दर्पण ।

(1) जस्टिस देसाई अशोक के. जस्टिस वर्सेज जस्टिस,एलाइड सर्विसेज ,नई दिल्ली ,

(2) डॉ.एस.के.जैन ,कुटुंब न्यायालय विधि,इंडिया पब्लिशिंग हाऊस,रायपुर 2009

(3) कुल श्रेष्स डॉ.संजय विधिक अनुसंधान पद्धतियाॅ यूनिवर्सिटी बुक हाऊस (प्रा.लि.) जयपुर 2008

(4) संविधान निर्मात्री सभा के बाद –विवाद भाग III IV VIII

(5) द्विवेदी डॉ.राधेश्याम ,घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 सुविधा लॉ हाऊस प्रा.लि.इंदौर 2002

(6) मेहता चेतन,महिला एवं कानून,आशीष पहिलाशिंग हाउस ,पंजाबी बाग नई दिल्ली 1996

(7) झा चंद्रनाथ,हिंदु विधि ,अष्टम संस्करण,सुविधा लॉ हाऊस प्रा.लि.भोपाल 2006

(8) नायनी शोभा,भारतीय समाज और नारी–दशा एवं दिशा,मार्क पब्लिशर्स 2010

(9) गोयल सुनील,भारतीय समाज में नारी,आर.बी.सीस पब्लिशर्स जयपुर 2003

(10) कपूर डॉ श्याम किशोर ,मानव अधिकार ,सेन्ट्रल लॉ एजेंसी ,इलाहाबाद,2010

(11) कपूर डॉ.प्रमिला,मानव सभ्यता का विकास ,विकास पब्लिकेशन्स हाऊस प्रा.लि.न्यू देहली 1974

(12) शास्त्री पं. हरगोविंद ,मंनुस्मृति,चौखम्बा विद्या भवन वारणासी (उ.प्र.)1952

साहित्य की समीक्षा (Review of Lilerature):– महिलाओं के विकास के लिए सरकार द्वारा बहुत से सुधार व संशोधन किए जा रहे है भारत महिला सशक्तिकरण पर जोर दिया जा रहा है,वही आप देखेगें कि विकास के साथ ही इन सभी कानूनों का दुरूपयोग भी किया जाने लगा है। घरो में महिलाओं के प्रति अत्याचार नही होता बल्कि उनकी जिम्मेदारी होती है। जिनके परिवार में संस्कार व नैतिकता का पाठ पढ़ाया व सिखाया जाता है वहॉ ऐसी घटनाएॅ या F.I.R. या रिपोर्ट नही होता यह सब एकल परिवारों में ज्यादा देखने को मिलता है। परिवार की जिम्मेदारी उनका अपना उत्तरदायित्व होता है। आप देखते कि लोगों कि मानसिकता इतनी विकृत हो गई है कि पति सहित परिवार में जेठ–जेठानी ,देवर–ननद एवं सास–ससुर,बहन–जीजा जी आदि पर यह केस जबरदस्ती लगाया जता है ,ताकि वे परेशान होते है।

इसी तरह आप देखेगे कि किसी कंपनी का बार –बार लुभावना एडवाराइज दिखाया जाता है और उनको ऑफर देकर उनसे सारी डिटेल ले ली जाती है और उनसे साइबर क्राइम ,डाटा चोरी,फर्जी वाड़ा,पैसे का लेन–देन इन सब में महिलाओं की हिस्सेदारी गॉवों –कस्बों की अपेक्षा शहरों में बहुत ज्यादा है। उनसे OTP लेकर उनका सारा रकम धीरे–धीरे गायब कर दिया जाता है।

महिलाओं को श्रापित कहा जाय या कमी की वह किसी को बढ़ते हूए देख नही सकती और उससे बदला लेने के लिए अपराध के चरम बिंदु पर पहूॅच जाती है। अभी सुखियॉ में लव जिहाद वाला केस कि अपनी प्रेमिका को बोटी–बोटी काट कर फ्रीज में रखकर किसी अन्य के साथ इव–इन–पार्टनर में रह रहा था।

अभिषेक मिश्रा (I.P. Mishra) का केस– जिसमें अभिषेक मिश्रा संपन्न व रूतबा वाला व्यक्ति था और एक महिला के साथ अनैतिक व्यवहार करने में लगा हुआ था वह महिला,अपने प्रेमी के साथ मिलकर शंकरा ग्रुप ऑफ कॉलेज छत्तीसगढ़ भिलाई ,रायपुर के डॉयरेक्टर को उसी के घर में दफनाकर उसके ऊपर गोभी लगा दिया था।

महिला मन की साफ व दिल की कमजोर होती है । वही दुर्गा का रूप भी लेती है। वह किसी को अपना मान ले तो उसके लिए किसी भी हद तक अच्छा और किसी भी हद तक नीचता करने लगती है।

सरकार महिलाओं के आर्थिक सामाजिक विकास हेतू अनेक कार्यक्रम व योजनाएॅ चालु कर रहे है और अपने इस योजना में महिलाओं और कन्याओं के लिए शरीरिक और सबल बनाने में बहुत योग दान दे रहे है।

कन्याओं के पढ़ाई हेतू निःशुल्क शिक्षा,जन्म लेने पर आर्थिक लाभ,कन्या के जन्म पर राशि ,उनके उचित विकास हेतू ऑगन बाड़ी केन्द्रो में चावल –दाल के साथ दही,दूध,अंज ,प्रोटीन युक्त फल गुड़ आदि पोषक तत्वों को सम्मिलित कर वितरण किया जाता है। सखी,मितानिन मनरेगा,महिला स्व सहायता राशि तथा भूमि का वितरण बहुत बड़े और जोर–शोर से महिलाओं के आर्थिक विकास के सहयोग दिया जा रहा है।

जिसमें केन्द्र व राज्य सरकार दोनों के अलग –अलग योजनाएँ है। ताकि नारी का विकास हो । नारी पढ़ेगी। विकास गढेगी आदि ऐसे योजनाएँ है ,जिनमें परित्यक्ता महिला को जीवन यापन हेतू राशि दी जाती है।

इस प्रकार हम देखते है कि नारी आज घर से निकलकर बड़े बड़े पर्दो पर आसीन हो रही है वही वह अपराध करने में भी पीछे नही है आज महिला छोटे से अपराध में आखिर करने के पीछे उस नारी का मन दौड़ा क्या वह नारी सशक्तिरकण के साथ अपराध को अंजाम देने के लिए भी उसे हमारा समाज तैयार कर रहा है। नैतिक मूल्यों का हास ही अपराध का प्रमुख कारण है मेरे हिसाब से बहुत से ऐसे तथ्य है लक्ष्ण है कि अपराध करने के पीछे महिला के हाव–भाव स्पष्ट परिलक्षित होते है।

अतः में इनता ही कहूँगी की हर चीजों के दो पहलू होते है। कानून के भी दो पहलु है नारी के रक्षा के लिए तो नारी भी इनका,दुरुपयोग करने लगा। इन सबका विस्तृत वर्णन करने की कोशिश आगे के अध्याय में करेगें।